25/IV

वेदन संख्या	:	202400778009553	आवेदन दिनांक	:	14-06-2024
संव्यवहार की प्रकृति	:	बही संख्या -(4)	लेखपत्र का प्रकार	:	न्यास पत्र

प्रस्तुतकर्ता का विवरण

नाम (हिन्दी में)	:	सुमित यादव	नाम (अंग्रेजी में)	:	SUMIT YADAV
ई - मेल	:		मोबाइल	:	9758895334

संपत्ति की सं० : 1

सम्पत्ति की स्थिति का विवरण

जनपद	:	सम्भल	तहसील	:	गुन्नौर
सम्पत्ति का विवरण	:	ऋषिपाल सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट			

सम्पत्ति का प्रकार

प्रतिफल	:	20000			
सम्पत्ति की विशिष्ट संख्या	:		विद्युत् संयोजन संख्या	:	
जल संयोजन संख्या	:				

सम्पत्ति मूल्यांकन विवरण

			वास्तविक बाजारी मूल्य	:	/-
कुल देय स्टांम्प शुल्क	:	50/-	वास्तविक स्टाम्प शुल्क	:	1100/-
कुल देय निबन्धन शुल्क	:	700/-			

सम्पत्ति की चौहद्दी

पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	खसरा संख्या	प्लॉट संख्या /भवन संख्या/दुकान संख्या	संलग्न नक्शा

समस्त संपत्तियो से प्राप्त शुल्क का विवरण

बाजारी मूल्य	:	0/-	वास्तविक बाजारी मूल्य	:	0/-
कुल देय स्टांम्प शुल्क	:	50/-	वास्तविक स्टाम्प शुल्क	:	1100/-
कुल देय निबन्धन शुल्क	:	700/-			

अन्य विवरण

प्रपत्र में कुल प्रष्ठों की संख्या (दोनों तरफ)	:	26	प्रतिलिपिकरण शुल्क-रू०	:	80

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

संख्या	:	202400778009553	आवेदन दिनांक	:	14-06-2024
व्यवहार की प्रकृति	:	बही संख्या -(4)	लेखपत्र का प्रकार	:	न्यास पत्र

पक्षकार का विवरण

क्रम सं	पक्षकार प्रकार	नाम	पिता / माता /पति / अन्य का नाम	स्थायी पता	व्यवसाय	प्रस्तुतकर्ता	आधार संख्या/पैन संख्या/मोबाइल न०	संलग्न
1	न्यासी	श्री ऋषिपाल सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा श्री सुमित यादव	पुत्र श्री मुकेश यादव	अहरोला नौआबाद, पर0 असदपुर, तह० गुन्नौर, जिला सम्भल।	कृषि	अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि	N/A 9758895334	
2	गवाह–प्रथम	श्री चन्द्रकेश	पुत्र श्री स्व० नन्हूं	अहरोला नौआबाद, पर0 असदपुर, तह० गुन्नौर, जिला सम्भल।	कृषि		N/A 8630833003	
3	गवाह–द्वितीय	श्री राजीव कुमार	पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह	नूरपुर, पर0 असदपुर, तह० गुन्नौर, जिला सम्भल।	वकालत		N/A 9997943232	

नोट*:- उप निबंधक कार्यालय :- गुन्नौर में आवेदक द्वारा दिनांक 14-06-2024 को "लेखपत्र पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट" दिनांक:- 14-06-2024, Counter 1, समय :- 10.40 AM - 10.45 AM का चयन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कृपया दिनांक 14-06-2024, Counter 1, समय :- 10.40 AM - 10.45 AM पर गुन्नौर उप निबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP77037909545841W

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP77037909545841W
Certificate Issued Date	:	12-Jun-2024 11:21 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14212404/ GUNNAUR/ UP-SMD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14212404504354247309I9W
Purchased by	:	RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST CO SUMIT YADAV
Description of Document	:	Article 4 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST CO SUMIT YADAV
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST CO SUMIT YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,100 (One Thousand One Hundred only)





न्यास विलेख (Trust Deed)

यह न्यास विलेख (Trust Deed) आज दिनांक 02 जून 2024 को हम श्री सुमित यादव पुत्र श्री मुकेश यादव निवासी अहरोला नौआवाद पोस्ट मणिकावली तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल जिसे इस अविलेख में संस्थापक मुख्य न्यासी (ट्रस्टी) एवं अध्यक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है। तथा कु0 कल्पना यादव पुत्री स्व0 श्री सतीश यादव निवासी अहरोला नौआवाद पोस्ट मणिकावली तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल, श्री अमित यादव पुत्र श्री मुकेश यादव निवासी अहरोला नौआवाद पोस्ट मणिकावली तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल, श्री ऋषभ यादव पुत्र स्व0 श्री सतीश यादव निवासी अहरोला नौआवाद पोस्ट मणिकावली तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल। । जिन्हें एतदपश्चात संयुक्त रूप से ट्रस्टीगण (न्यासीगण), कार्यपालक न्यासी, प्रबन्ध न्यासी से संबोधित किया गया है, के मध्य निम्नलिखित शर्तो, प्रतिज्ञाओं एवं अनुबंध के अधीन एतदद्वारा सम्पादित किया जाता है। सदैव यह प्राविधान रहेगा कि शब्द मुख्य संस्थापक ट्रस्टी एवं शब्द ट्रस्टीगण इस विलेख में जहां–जहां प्रयुक्त होंगे वहां–वहां सन्दर्भानुसार क्रमशः उनके हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न आदि आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे। यह न्यास भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत समाज सेवा के उद्देश्य से गठित किया गया है।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

0024309907

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

ट्रस्ट का नाम

ट्रस्ट का नाम **"ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट"** "RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST" होगा और इसी नाम से सम्पूर्ण भारत व विश्व में पुकारा व जाना जायेगा।

ट्रस्ट कार्यालय

ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय C/O **सुमित यादव** आवास डिग्री कालेज के पास पेट्रोल पम्प के सामने बबराला शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार समस्त भारत एवं विश्व के अन्य देशों व स्थानों में अध्यक्ष महोदय/न्यास परिषद की अनुमति से स्थापित किये जायेंगे। ट्रस्ट का कार्यालय सम्पूर्ण भारत के साथ–साथ सम्पूर्ण विश्व होगा। ट्रस्ट अपने कार्यो एवं सेवाओं का विस्तार सम्पूर्ण भारत देश एवं विदेशो में भी कर सकता है।

ट्रस्ट के उद्देश्य

1. मानव के सर्वागीण विकास हेतु सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
2. शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं शैक्षिणित सभाओं को आयोजित करना, जिसमें समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा सके।
3. समाज में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (रोजगारपरक शिक्षा) के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलकर उनका संचालन करना।
4. समाज में नागरिकों के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु चिकित्सा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करना, चिकित्सालयों की स्थापना करना, औषधि उत्पादन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना।
5. समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास हेतु मानव मात्र के कल्याण हेतु निःशुल्क चिकित्सालयों, अनाथालयों, संरक्षणगृहों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
6. समाज के पिछड़े एवं कमजोर तबको बाल एवं महिला, विकलांग, निराश्रित, वृद्ध एवं असहाय के कल्याणार्थ संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबन्धन।
7. कार्यशील महिलाओं हेतु होस्टल की स्थापना।
8. सांस्कृतिक वातावरण की उन्नति के लिए जिसमें वन, तालाब, नदी तथा वन्य प्राणियों की उन्नति भी सम्मिलित है।
9. अस्पतालों तथा सभी प्रकार की चिकित्सीय शिक्षा जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और पशुचिकित्सा हेतु कार्य करना।
10. शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु तथा शिक्षा को दिशा देने वाली संस्थाओं की स्थापना करना व किसी चल रहे विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय का प्रबन्ध करना तथा नए खोलना।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

11. होटल मैनेजमेन्ट और होटल कैटरिंग की शिक्षा एवं प्रबन्धन और इन्जीनियरिंग तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोलना।

12. ग्रामीण विकास हेतु दुग्ध का उत्पादन करना, कराना व जनता को गुणकारी दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक डेयरी की स्थापना करना व चलाना तथा कार्यरत डेयरी का प्रबन्ध मिले तो उसका प्रबन्ध करना।

13. विश्वविद्यालय, शोध, संस्थानों शिक्षण संस्थाओं, कम्प्यूटर शिक्षण संस्थाओं जो वर्तमान में कार्यरत है अथवा भविष्य में स्थापित होती है उनको अनुदान देना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों गायन, ड्रामा, नृत्य एवं अन्य उत्कृष्ट कला, पेन्टिंग आदि की उन्नति हेतु सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करना।

14. पर्यावरण को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा बनाये रखने के लिए सार्थक प्रयास करना इस हेतु पर्यावरण विभाग से अनुदान प्राप्त करना तथा ट्रस्ट की निधि का भी उपयोग करना।

15. वृक्षारोपण करने हेतु अभिप्रेरित करना स्वयं करना एवं सहयोग देना।

16. परिश्रमी, मैधावी ऐसे छात्र जो संस्कृत, साहित्य, विज्ञान एवं कला में अग्रणीय हो, उन्हें छात्रवृति देना तथा ऐसे छात्र जो शिक्षा व्यय को वहन करने में असमर्थ हो, उन्हें शिक्षा व्यय के साथ–साथ भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना।

17. सामाजिक एकता व अखण्डता को बढ़ावा देना।

18. समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना।

19. पाली एवं प्राकृत के प्रोत्साहन संवर्धन एवं दुर्लभ पांडुलिपियों का प्रचार–प्रचार करना।

20. लोकभाषा, लोकसाहित्य, लोकशिल्प एवं लोक कलाओं का विकास करना।

21. समाज में नागरिकों के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु योग एवं प्राकृतिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा इस उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं की सीपना करना।

22. उपरोक्त सभी कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे एवं ट्रस्ट समाज सेवा के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य लाभ कमाना या व्यवसाय करना नहीं है।

ट्रस्ट निधि (Trust Fund)

ट्रस्ट के सभी संस्थापको ट्रस्टीगण ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट बोर्ड को 20,000/– रूपये की धनराशि ट्रस्ट निधि मे समस्त अधिकार सहित सौंपते हैं। यही धनराशि ट्रस्ट की न्यास निधि होगी, जिसे किसी भी राष्ट्रीय बैंक में ट्रस्ट के अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षरों से जमा व आहरण किया जा सकेगा। इसके साथ–साथ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव एवं सदस्य के सयुक्त हस्ताक्षर द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट के बैंक में जमा धन की निकासी का अधिकार प्राप्त होगा तथा आगे भविष्य में जो भी धन ट्रस्ट का प्राप्त होता है वह पूरा–पूरा न्यास निधि में जमा किया जायेगा तथा मात्र ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यय किया जायेगा। ट्रस्ट के आकस्मिक व्यय के लिये 20,000/– रूपये की धनराशि अग्रिम धन के रूप में सदैव अध्यक्ष के पास नकद रूप में मौजूद रहेगी तथा अध्यक्ष की अनुमति

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

से आकस्मिक मदों मे व्यय किये जायेगें। व्यय किया गया धन का उसी समय बीजक बनाकर उसका समायोजन किया जायेगा व व्यय किये हुये धन की आपूर्ति की जायेग। ताकि स्वीकृत अग्रिम स्वीकृत अग्रिम स्थाई धन सदैव अध्यक्ष के पास सुरक्षित व मौजूद रह सके। स्थाई अग्रिम धन मे न्यास परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार कमी व वृद्वि की जा सकती है।

न्यासनिधि, न्यास रोकड़ वही एवं न्यास लेखों का सही रख–रखाव अध्यक्ष या सचिव द्वारा किया जायेगा व इन लेखों का निरीक्षण न्यास परिषद् द्वारा समय–समय पर किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का प्राप्त होने वाला समस्त धन, वित्तीय सहायता, दान, चन्दा, अनुदान आदि की प्राप्ति पर उसकी रसीद, दाता अथवा भुगतानकर्ता को दी जायेगी, तथा उसकी प्रविष्टि न्यास रोकड़ वही व लेखा में करने के साथ–साथ प्राप्त धन न्यास निधि बैंक में जमा किया जायेगा।

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष अथवा ट्रस्ट का आय–व्यय का वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा और यही क्रम आगे भी चलता रहेगा।

ट्रस्ट का लेखा सम्परीक्षण (Audit)

ट्रस्ट के आय–व्यय लेखा का सम्परीक्षण (आडिट) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के समाप्ति अर्थात अप्रैल माह की 30 तारीख तक अध्यक्ष/सचिव न्यास परिषद/संस्थापक महोदय की अनुमति से न्यास परिषद द्वारा गठित एवं अधिकृत समिति द्वारा की जायेगी अथवा मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा भी कार्यवाही जा सकती है।

"ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट" "RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST" के कुशल प्रशासन व समुचित प्रबन्ध के लिये **"ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट"** के अधीन न्यास परिषद, न्यास सभा एवं कार्यपालक समिति का गठन किया गया है, जिनका प्रशासन व कार्यप्रणाली निम्नवत होगीः–

न्यास परिषद (ट्रस्ट बोर्ड)

न्यास परिषद के गठन में **श्री सुमित यादव** अध्यक्ष समस्त संस्थापक न्यासीगण सम्मिलित होंगे तो अपने–अपने जीवनकाल तक अपने पद पर बने रहेंगे। भविष्य में न्यासियों की संख्या में वृद्वि अथवा कमी की जा सकेगी। इस प्रकार ट्रस्टी का कार्यकाल आजीवन होगा। कोई भी ट्रस्टी एक महीने का नोटिस देकर लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष ट्रस्टी को देकर ट्रस्ट से अलग हो सकता है। किन्तु इसके लिए ट्रस्टी परिषद का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा किन्तु एक महीना नोटिस प्राप्ती के बाद भी ट्रस्टी परिषद का अनुमोदन नहीं होता है तब उसे सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

ट्रस्ट सभा (ट्रस्ट एसेम्बली)

ट्रस्ट सभा की सदस्यता में ट्रस्ट के सभी संस्थापक सदस्य होंगे। तथा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी ट्रस्ट सभा के पदाधिकारी होंगे सभा के अधीन उनकी समितियां, उपसमितियां गठित की जायेगी जिनका संचालन व प्रबन्ध ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किये गये पदाधिकारियों के द्वारा किया गया जायेगा। ऐसा मनोनीत सदस्य गठित समिति का प्रधान होगा तथा न्यास परिषद के निर्देश पर कार्य करेगा। गठित समिति के प्रधान अर्थात सचिव ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे व अपनी–अपनी समिति के कार्यकलापी की प्रगति से न्यास परिषद को अवगत करायेंगे।

ट्रस्ट कार्यकारिणी समिति

ट्रस्ट की कार्यपालक समिति में ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचिव महोदय, ट्रस्ट बोर्ड के समस्त पदाधिकारी होंगे जो "ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट" **"RISHIPAL SINGH EDUCATIONAL TRUST"** की सर्वोच्च कार्यपालक समिति होगी। ट्रस्ट कार्यपालक समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष या सचिव महोदय करेंगे। ट्रस्ट की कार्यकारिणी में लिए गये प्रशासनिक निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित रूप से करेंगे। **श्री सुमित यादव पुत्र श्री मुकेश यादव अध्यक्ष तथा कु0 कल्पना यादव पुत्री स्व0 श्री सतीश यादव, सचिव "ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट"** को मुख्य रूप से इस विलेख में "संस्थापक मुख्य न्यासी (ट्रस्टी) एवं अध्यक्ष तथा सचिव कहकर सम्बोधित किया गया है तथा ट्रस्टी होंगे तथा इन पदों पर अपने जीवन पर्यन्त बने रहेंगे।

"ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट" के न्यासीमण एवं पदाशिकारी

क्र0सं0	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद
1	श्री सुमित यादव पुत्र श्री मुकेश यादव	निवासी अहरोला नौआवाद गुन्नौर सम्भल	अध्यक्ष
2	कु0 कल्पना यादव पुत्री स्व0 श्री सतीश यादव	निवासी अहरोला नौआवाद गुन्नौर सम्भल	सचिव
3	श्री अमित यादव पुत्र श्री मुकेश यादव	निवासी अहरोला नौआवाद गुन्नौर सम्भल	सदस्य
4	श्री ऋषभ यादव पुत्र स्व0 श्री सतीश यादव	निवासी अहरोला नौआवाद गुन्नौर सम्भल	सदस्य

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

उपरोक्त किसी पदाधिकारी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने, मृत्यु होने अथवा ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर उस पद का कार्यभार उस पदाधिकारी या संस्थापक सदस्य का प्राकृतिक वारिस संभालेगा अथवा उस पदाधिकारी या संस्थापक सदस्यों की सहमति एवं संस्तुति पर किसी पर अन्य व्यक्ति को सदस्य अथवा पदाधिकारी बनाया जा सकेगा।

ट्रस्ट पदाधिकारी के दायित्व अधिकार

साधारण ट्रस्ट के पदाधिकारी उनमें निहित वैधानिक अधिकार व दायित्वों का सम्पादन करने के साथ–साथ उन सभी दायित्वों व अधिकारों का अनुसरण करेंगे जो समय–समय पर ट्रस्ट बोर्ड द्वारा उनमें प्रतिनिहित किये जायेंगे।

अध्यक्ष

ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता व निर्णयों की घोषणा। ट्रस्ट संबंधी सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं विधायनी अधिकारों एवं दायित्वों का सम्पादन सम्पत्ति की सुरक्षा, प्रबन्ध विकास आदि के साथ–साथ ट्रस्ट की विकासशील योजनाओं को बनाना व लागू करना ट्रस्ट बोर्ड (न्यास परिषद) निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना व सम्पोदन स्वीकार करना तथा ट्रस्ट की ओर से समस्त न्यायालयों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों, नियमों, ट्रिव्यूनलों आदि में उपस्थित होकर ट्रस्ट की ओर से भी प्रकार की कार्यवाही ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशों के अनुसार करना आदि।

सचिव

ट्रस्ट की बैठकों का आयोजन, सभा की कार्यवाही, ट्रस्ट संबंधी वैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकारों, दायित्वों का निर्वहन करते हुए ट्रस्ट सम्पत्ति की सुरक्षा व प्रबन्ध, ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों तथा ट्रस्ट के पक्ष में होने वाले दस्तावेजों को ट्रस्ट बोर्ड (न्यास परिषद) निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना व सम्पादन स्वीकार करना तथा ट्रस्ट की ओर से समस्त न्यायालयों, कार्यालयों, स्थानीय निकायो, प्राधिकरणों, निगमों, ट्रिव्यूनलों, प्राधिकारी आदि में उपस्थित होकर ट्रस्ट की ओर से सभी प्रकार की कार्यवाही ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशों के अनुसार करना।

निर्वाचन एवं कार्यकाल

ट्रस्ट बोर्ड के उक्त पदाधिकारी सर्म्प्रवतक महोदय द्वारा पांच वर्ष के लिए मनोनीत किये गये हैं। पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सम्प्रवतक महोदय द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और तदोपरान्त समस्त पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्ट बोर्ड द्वारा सामान्य चुनाव प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार चुने हुये पदाधिकारी का कार्यकाल मात्र पांच वर्ष का होगा। कार्यकाल की समाप्ति के 15 दिन पूर्व पदासीन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से चुनाव कराने होंगे। यदि 15 दिन पूर्व चुनाव नहीं कराये जाते तो ट्रस्ट बोर्ड

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

को पूर्ण अधिकार होगा कि वह कार्यवाहक पदाधिकारियों को मनोनीत करे व नियमति रूप से चुनाव को सम्पन्न कराये। कार्यकाल की समाप्ति के 15 दिन पूर्व यदि चुनाव न कराने से पदासीन अधिकारियों के पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे और इसमें किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। चुनाव में ट्रस्ट के सभी संस्थापक सदस्य अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया को निरस्त समझा जायेगा।

सदस्यता

न्यास परिषद सर्वसम्मति से किसी भी भारतीय नागरिक को नियमानुसार सदस्यता प्रदान कर सकेगी।

संस्थापक सदस्य– न्यास के संस्थापक सदस्यों से तात्पर्य न्यास को गठित करते समय न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों से है जिनकी संख्या चार है।

आजीवन सदस्य– न्यास परिषद किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वसम्मति से (200000) दो लाख रूपया शुल्क लेकर आजीवन सदस्य बना सकेगी। जिनको ट्रस्टीगणों के समान अधिकार प्रदान किए जायेंगे।

आमेलित सदस्य– न्यास परिषद सर्वसम्मति से किसी भी भारतीय नागरिक को न्यास परिषद का आमेलित सदस्य बना सकेगी। जिसकी सदस्यता अवधि तीन वर्षो के लिए होगी तथा यह सदस्यता तीन वर्ष उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ट्रस्ट बोर्ड के दायित्व व अधिकार

1. ट्रस्ट बोर्ड किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, निगम आदि से ट्रस्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दान, चन्दा, राहत, चल–अचल सम्पत्ति आदि की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है और उसे ट्रस्ट के उद्देश्य हेतु व्यय कर सकती है। न्यास परिषद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट को दिये जाने वाले ऐसे धन अथवा सम्पत्ति को स्वीकार करें अथवा न करे अर्थात् ट्रस्ट सदैव दान को स्वीकार करने व अस्वीकार के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

2. न्यास परिषद का पूर्ण दायित्व होगा कि वह न्यास की सम्पत्ति सम्पदा का उचित प्रबन्ध, देखभाल करें। सम्पत्ति के विषय मे किसी प्रकार की प्रतिबाधा होने पर उसका उचित प्रबन्ध, देखभाल करे। सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार की प्रतिबाधा होने पर उसका उचित विरोध करते हुए सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही कर ऐसी बाधा को दूर करे अथवा हटाये।

3. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट के स्कूल, कॉलेजों, आश्रमों, धर्मशालाओं, वृद्वाआश्रमों, अनाथालयों, आदि में निवास करने वालों के लिये तथा स्कूल, कॉलेजो, आश्रमों के विकास हेतु नियम बना कर उन्हें लागू कर सकती है। न्यास परिषद द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना सभी को अनिवार्य होगा।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

को पूर्ण अधिकार होगा कि वह कार्यवाहक पदाधिकारियों को मनोनीत करे व नियमति रूप से चुनाव को सम्पन्न कराये। कार्यकाल की समाप्ति के 15 दिन पूर्व यदि चुनाव न कराने से पदासीन अधिकारियों के पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे और इसमें किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। चुनाव में ट्रस्ट के सभी संस्थापक सदस्य अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया को निरस्त समझा जायेगा।

सदस्यता

न्यास परिषद सर्वसम्मति से किसी भी भारतीय नागरिक को नियमानुसार सदस्यता प्रदान कर सकेगी।

संस्थापक सदस्य– न्यास के संस्थापक सदस्यों से तात्पर्य न्यास को गठित करते समय न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों से है जिनकी संख्या चार है।

आजीवन सदस्य– न्यास परिषद किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वसम्मति से (200000) दो लाख रूपया शुल्क लेकर आजीवन सदस्य बना सकेगी। जिनको ट्रस्टीगणों के समान अधिकार प्रदान किए जायेंगे।

आमेलित सदस्य– न्यास परिषद सर्वसम्मति से किसी भी भारतीय नागरिक को न्यास परिषद का आमेलित सदस्य बना सकेगी। जिसकी सदस्यता अवधि तीन वर्षो के लिए होगी तथा यह सदस्यता तीन वर्ष उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ट्रस्ट बोर्ड के दायित्व व अधिकार

1. ट्रस्ट बोर्ड किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, निगम आदि से ट्रस्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दान, चन्दा, राहत, चल–अचल सम्पत्ति आदि की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है और उसे ट्रस्ट के उद्देश्य हेतु व्यय कर सकती है। न्यास परिषद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट को दिये जाने वाले ऐसे धन अथवा सम्पत्ति को स्वीकार करें अथवा न करे अर्थात् ट्रस्ट सदैव दान को स्वीकार करने व अस्वीकार के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

2. न्यास परिषद का पूर्ण दायित्व होगा कि वह न्यास की सम्पत्ति सम्पदा का उचित प्रबन्ध, देखभाल करें। सम्पत्ति के विषय मे किसी प्रकार की प्रतिबाधा होने पर उसका उचित प्रबन्ध, देखभाल करे। सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार की प्रतिबाधा होने पर उसका उचित विरोध करते हुए सक्षम न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही कर ऐसी बाधा को दूर करे अथवा हटाये।

3. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह ऋषिपाल सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट के स्कूल, कॉलेजों, आश्रमों, धर्मशालाओं, वृद्वाआश्रमों, अनाथालयों, आदि में निवास करने वालों के लिये तथा स्कूल, कॉलेजो, आश्रमों के विकास हेतु नियम बना कर उन्हें लागू कर सकती है। न्यास परिषद द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करना सभी को अनिवार्य होगा।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

4. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के विकास एवं उत्थान के लिये ट्रस्ट के अधीनस्थ प्रशासनिक नियन्त्रण में अनेक समितियों जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, योग, शास्त्रीय संगीत आदि नाना प्रकार की समितियां व समितियों का गठन कर सुयोग्य व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान करे व गठित समितियों के लिये कानून बनाकर उन्हें लागू करे।

5. न्यास परिषद ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय लेखा का सम्परीक्षण प्रतिमाह अप्रैल में गठित सम्परीक्षण समिति अथवा मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउण्ट से करायेगा, ट्रस्ट के समस्त लेखा संबंधी कार्यकलापों का सम्परीक्षण (ऑडिट) अनिवार्य रूप ये किया जायेगा।

6. न्यास परिषद ट्रस्ट के कार्य एवं प्रशासन को सूचारू रूप से संचालित करने के लिए सचिव, मैनेजर, अधिवक्ता, सोलीसीटर, आडिटर, आर्कीटेक्ट, इंजीनियर, सुपरवाइजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, बेब डिजाइनर, सुरक्षा अधिकारी, क्लर्क, चौकीदार, चपरासी, दफतरी आदि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है और उन्हें वेतन पर रख सकती है।

7. न्यास परिषद ट्रस्ट के नाम से वाद योजित करने व ट्रस्ट पर योजित होने वाले वादों में कार्यवाही करने, समझौता करने अर्थात समस्त वैधानिक कार्यवाही जो ट्रस्ट व ट्रस्ट सम्पदा से संबंधित हो को करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिये न्यास परिषद अध्यक्ष तथा सचिव अथवा किसी भी पदाधिकारी को सक्षम न्यायालयों/कार्यालयों/ प्राधिकरणों/निगमों/स्थानीय निकायों आदि में ट्रस्ट की ओर से वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत कर सकती है।

8. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह समय–समय ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के अधीनस्थ प्रशासनिक नियन्त्रण में विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए नियमों को बनाये व नियमों का संशोधन करें।

9. न्यास परिषद ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति का सही लेखा व ट्रस्ट में जमा धनराशि मात्र ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए ही व्यय की जायेगी। यदि स्वीकृत बजट का उपयोग किसी भी कारणवश चालू वर्ष में नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसरण मे उसका उपयोग आगामी वर्ष में ट्रस्ट के उद्देश्यो की आपूर्ति के लिए ही किया जायेगा।

10. न्यास परिषद को ट्रस्ट के नाम किसी भी अचल सम्पत्ति को क्रय करने, लीज व विनियम आदि द्वारा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और यदि न्यास परिषद बहुमत से यह निर्णय लेती है कि ट्रस्ट की कोई सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग ट्रस्ट के लिये उपयोगी नहीं है तो ऐसी दशा में न्यास परिषद उस सम्पत्ति या उसके भाग को विक्रय विनिमय आदि द्वारा अन्तरण कर सकती है और प्राप्त धन से

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

ट्रस्ट के लिये सम्पत्ति क्रय कर सकती है अथवा प्राप्त धन को केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय कर सकती है।

11. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह सदन के बहुमत से किसी भी दोषी ट्रस्टी अथवा ट्रस्टी सदस्य का निष्कासन करें, निलम्बन करे, अथवा ट्रस्टी/सदस्य से पृथक करे, किन्तु इसके लिये आवश्यक होगा कि दोषी ट्रस्टी/सदस्य को न्यास परिषद के समक्ष अपने बचाव पक्ष में सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करते हुये सम्यक रूप से निर्णय लिया जाये। इस प्रकार न्यास परिषद द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम अनन्य व सभी पर पूर्णतः बाध्यकारी होगा, और उस किसी भी स्तर पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

12. न्यास परिषद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह नामित किये गये ट्रस्टी को योग्य न पाये जाने पर उसे पदच्युत करें तथा अपने संप्रदाय व परम्पराओ के अनुरूप सुयोग्य व्यक्ति को ट्रस्टी नामित करे।

13. न्यास परिषद को अधिकार होगा कि वह नये ट्रस्टी की नियुक्ति ट्रस्ट विधान के अनुसार करे और ट्रस्ट के पदाधिकारियों का समय पर चुनाव कर सुयोग्य ट्रस्टी को सेवा का अवसर दें।

14. न्यास परिषद बैठक की कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये एक कार्यवाही कार्यवृत पुस्तक (मिनिट बुक) बनायेगी, जिसमें समस्त कार्यवाही अध्यक्ष या सचिव महोदय द्वारा समस्त न्यासियों की उपस्थिति में अंकित करते हुये लिखी ज़ायेगी। और प्रत्येक कार्यवाही की पुष्टि में अध्यक्ष महोदय व सचिव महोदय के हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह कार्यवृत्त पुस्तक बैठक की कार्यवाही का वैधानिक प्रमाण होगा और साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

15. न्यास परिषद की बैठक में समस्त कार्यवाही, प्रश्न व प्रकरणों में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगे तथा एक ही विषय पर न्यासियों के मतों में समानता हो जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा और तद्नुसार प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णीत किया जायेगा।

16. न्यास परिषद की विशेष बैठक प्रतिवर्ष दो बार आहूत की जायेगी जिसकी सूचना समस्त न्यासियों पदाधिकारियों एवं ट्रस्ट सभा के सदस्यों को अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय द्वारा 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

17. ट्रस्ट की सामान्य बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष या सचिव महोदय की आज्ञा से बुलाई जा सकती है। जिसकी सूचना सभी ट्रस्टियों, पदाधिकारियों एवं संबंधित समितियों के सचिवों को 10 दिन पूर्व सचिव महोदय द्वारा दी जायेगी। आपातकाल में अध्यक्ष महोदय द्वारा न्यास परिषद की बैठक तत्काल बुलाई जा सकती है। जिसके लिये गणपूर्ति का होना आवश्यक होगा, किन्तु इसमें लिये गये निर्णयों को अगली बैठक में गणपूर्ति के उपरान्त अन्तिम किया जायेगा।

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

18. न्यास परिषद के समस्त न्यासियों को दो–तिहाई बहुमत संख्या उपस्थिति सदन गणपूर्ति मानी जायेगी और तदानुसार ही न्यास परिषद द्वारा बहुमत से निर्णय पारित किये जायेंगे।

19. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ट्रस्ट अथवा मुख्य ट्रस्टी, कार्यपालक ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ट्रस्टी सदस्यों व ट्रस्टियों तथा नियुक्त कर्मचारियों आदि से संबंधित सभी मदभेदों, आन्तरिक वाद–विवादों का समाधान एवं निस्तारण मात्र न्यास परिषद द्वारा किया जायेगा। कोई भी अपना विवाद लेकर किसी भी न्यायालय में नहीं जायेगा। न्यारा परिषद तत्संबंधी मतभेदों अथवा विवादों के निस्तारण के लिये सर्वसम्मति से किसी भी सुयोग्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को मध्यस्थ (ऑर्बीटेटर) नियुक्त कर सकती है तथा विवाद को निर्णीत करा सकती है। इस प्रकार मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय भी अनन्य एवं अन्तिम होगा जो सभी बाध्यकारी होगा तथा उसे किसी भी प्रकार न्यायालय में किसी भी चुनौती देने का अधिकार होगा।

न्यासियों के दायित्व व अधिकार

1. मनोनीत न्यासीगण आजीवन अपने पद पर बने रहेंगे, किन्तु स्वेच्छा से कोई भी न्यासी अपने पद को त्याग सकता है।
2. कोई भी न्यासी ट्रस्ट सम्पत्ति, सम्पदा का दुरूपयोग नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ ट्रस्ट सम्पत्ति से प्राप्त करेगें।
3. न्यासियों के लिये अनिवार्यतः भारतीय न्यास अधिनियम में वर्णित सभी शक्तियों व दायित्वों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा और इसके साथ ही न्यास परिषद द्वारा समय–समय पर बनाये नियमों का पालन भी करना होगा।
4. नये न्यासी ही नियुक्ति होने पर ट्रस्ट से संबंधित समस्त अधिकार व दायित्व नये न्यासी को कानूनन प्राप्त होंगे और इसके लिये किसी प्रकार के दस्तावेज को लिखने व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।
5. न्यासियों के लिए आवश्यक होगा कि वह ट्रस्ट की बैठकों में सक्रिय भाग लेकर ट्रस्ट के उद्देश्यों को सफल बनाने में न्यास परिषद को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करे।

ट्रस्ट सम्पत्ति– इस ट्रस्ट की सम्पत्ति में प्रारम्भिक धन संस्थापक ट्रस्टीगणों द्वारा दिया गया धन होगा तथा ट्रस्ट को दान उपहार चन्दा जो शुभचिंतको द्वारा दिया गया हो अनुदान सहायता जो किया गया हो व केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिया गया हो तथा सांसद एवं विधायक कोष से प्राप्त अनुदान तथा अन्य संगठनों द्वारा दिया गया दान, अनुदान धरोहर राशि तथा चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलने हेतु बैंक से तथा किसी व्यक्तिगत से ऋण ले सकता है और भुगतान ट्रस्ट की आय की मद से मय ब्याज के करेगा। ट्रस्ट सम्पत्ति को राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता/चालू खाता खोलकर रखा जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर से किया जायेगा। इसके

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

साथ–साथ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव एवं सदस्य के सयुक्त हस्ताक्षर द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट के बैंक के खाते का संचालन किया जायेगा। इस विनियम में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस विनियम के अतिरिक्त शेष समस्त नियमों, उपनियमों एवं विनियमों में संशोधन सभी संस्थापक ट्रस्टीगणों की सहमति व लिखित स्वीकृत से ही लिया जा सकेगा तथा संशोधन की प्रति को निबन्धन कार्यालय में निबन्धित/पंजीकृत कराया जायेगा।

आयकर छूट–ट्रस्टी परिषद दान, उपहार या भेंट करने वालों की सुविधा के लिए आयकर विभाग की धारा 80 जी अथवा अन्य आयकर अधिनियम की धाराओं में अनुमति लेकर दानदाताओं को अवगत करायेगी किन्तु जब भी ट्रस्टी परिषद के नियमों विनियमों में परिवर्तन किया जायेगा। तब फिर इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आयकर अधिनियम के किसी भी धारा के विपरीत कोई परिवर्तन अथवा संशोधन न किया जाये।

अतः साक्ष्य प्रमाण में यह विलेख आज दिनांक 02.06.2024 को स्थान बबराला में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाता है। ताकि प्रमाण रहे।

गवाह–

1. चन्द्रकेश पुत्र स्व0 श्री नन्हूं
 निवासी अहरोला नौआवाद पोस्ट मणिकावली
 तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल
2. राजीव कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह
 निवासी नूरपुर तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल

Drafted by: Rajeev Kumar
Advocate, Tehsil Gunnaur
Date - 14.06.2024

Manager
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)

Principal
Rishipal Singh Memorial Public school
Ajijpur Junawai (Sambhal)